भटके विमुक्त - धनगर - गुजर- बंजारा जैसी पिछडी जनजाति के आरक्षण की समस्या पर जल्द ही अमल
केंद्रीय ओ.बी.सी. का विभाजन एक उपाययोजना

हरिभाऊ राठोड

आज भारत में लगभग ५२ प्रतिशत समाज का ओ.बी.सी. प्रवर्ग में समावेश हुआ है। आज केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय ओ.बी.सी. सूची में आरक्षण के बारे में विभाजन सिर्फ आवश्यक ही नही बल्की अत्यावश्यक है। भारत के राज्यघटना में सामाजिक न्याय देने के लिए जो विशेष कानून बनाई गयी है, उसपर गौर करे तो ऐसा लगता है कि, ओ.बी.सी. सूची के विभाजन की आवश्यकता आज अधिक ही है। यहाँ हम ब्राम्हण जैसे उच्च जाति या अनुसूचित जमाती का विचार नहीं कर रहें है, तो मंडल आयोग की तरफ से घोषित किय पिछड़े जाति के लिए २७ प्रतिशत विभाजन होना चाहिए। भारतीय घटना के मूलभूत तत्त्व में भारतीयों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजकिय न्याय मिलना यह बात कही गयी है।

घटना के प्रास्ताविक में समता, स्वातंत्र्य एवं बंधुत्त्व का समावेश किया गया है। घटना के धारा १४ के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्तिको न्यायभावनासे ही व्यवहार करेगी, इसका मतलब यह कि कानूनन सब एक है। इतनाही नहीं तो सभी को कानूनन संरक्षीत किया जाएगा। असमान व्यक्ति के विकास के लिए प्रयत्नशील रहना होगा। साथही जो पिछड़े हुए है उन्हें प्रगत संवर्ग के तहत लाना होगा। घटना के १६ (४) एवं १५ (४) इस धारा के अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टीसे पिछड़े वर्ग के प्रगती के लिए सरकारी नोकरी में आरक्षण दिया जाए। इसके लिए सरकार को विशेष अधिकार दिए गये है।

भारत सरकारने घटना के धारा ३४० के तहत १९५५ में काका कालेलकर आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने जो पिछड़े जनजाति के लोग जिन्हें ओ.बी.सी. संवर्ग सेभी खस्ता हालत में जीवन जी रहे थे उनकी विमुक्त एवं भटकी जमाति में गणना की गयी थी, उनके लिए भी ओ.बी.सी. में शिफारीश करने के लिए कहा गया परंतु भारत सरकार ने इस आयोग का रिपोर्ट खारीज किया। ब्रिटिश सरकारने १८७१ में गुन्हेगार जाति के लिए 'क्रिमिनल ट्राईब्स

अॅक्ट यह कानून बनाया किंतु स्वातंत्र्योत्तर काल में यह कुटील कानून खत्म करने की बात चली और उसकी जाँच पडताल के लिए १९४९ में भारत सरकारने आयंगार समिती की स्थापना की। इस समिती का अहवाल प्राप्त होने के बाद जब यह गुन्हेगार जमात कायदा समाप्त करने के लिए विधेयक संसद मे रखा तब बिहार के एक मानद संसद सदस्य श्री श्रीपालसिंग इन्होंने ऐसा निवेदन किया की २८ फरवरी १९५२ के इस कानून को खत्म करना पर्याप्त नहीं है। जबतक हम इस समाज को अनुसुचित जाति जमाति के जैसी नोकरी में आरक्षण, शिक्षा सुविधा एवं उसके लिए अंदाजपत्रक में समाविष्ट नही करेंगे तबतक इस समाज को हम सामाजिक न्याय नहीं दिला पायेंगे।

भारतीय राज्यघटना के अंमल के बाद अनेक राज्योंने सरकारी नोकरी एवं शैक्षणिक संस्था में प्रवेश के लिए पिछडी जनजाति के लोगों को आरक्षण देना प्रारंभ किया। महाराष्ट्र सरकारने १९६१ में ओ.बी.सी. का विभाजन करके भटके विमुक्तों को अलग से आरक्षण दिया। जब की केंद्र सरकार के नियंत्रण में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी इसलिए सन १९७८ में भारत सरकार ने फिर घटना के तहत १९८० मे धारा ३४० अन्वये मंडल आयोग कि स्थापना की और इस आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिसे पिछडी जाति के लोगों के लिए सरकारी सेवा एवं शैक्षणिक संस्थामे २७ प्रतिशत आरक्षण की शिफारिश की। यह शिफारिश करते समय मंडल आयोग ने घटना के कलम १५ (४) एवं १६ (४) के अंतर्गत सामाजिक एवं शैक्षणिक आरक्षण के लिए अधिकतम काल मर्यादा एवं ओ.बी.सी. के उपवर्गीकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय का उस समय का कानून ध्यान में लिया गया था। उस आयोग के एक सदस्य श्री. एल.आर.नाईक ने इस अहवाल के कुछ मुद्दोंपर हरकत जताई 'Decent Note' उनके कहने के अनुसार २७ प्रतिशत आरक्षण सभी को न देते हुए राज्यों के पिछडी जन जाति के सूची का विभाजन करे। एक पिछडी जाति का और दूसरा कुचला हुआ, दबाया हुआ। परंतु श्री. एल.आर.नाईक का यह मत आयोग के अधिकांश सदस्योंने मान्य नहीं किया।

मंडल आयोग के सन्माननीय सदस्य श्री एल.आर.नाईक के इस मत की ओर किसीका भी ध्यान नहीं गया। इस अहवाल में श्री नाईक ने ऐसा कहा था कि, ओ.बी.सी. में समाविष्ट प्रगत जाति ओ.बी.सी. में पिछे पडे जातियों को आगे नहीं आने देते। इसलिए भविष्य में पिछडी

हुयी एवं अत्यंत प्रगत जाति संघटीत होंगे और अपना नेतृत्व वे खुद करेंगे। किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो ओ.बी.सी. में जो पिछडा हुआ वर्ग तथा विमुक्त भटकी जाति केंद्रिय आरक्षण का लाभ नहीं उठा पायेंगे। महाराष्ट्र में 'टाटा इन्स्टीटयूट ऑफ सोशल सायन्स' इनके और योजना आयोग के शिफारिश के अनुसार १९६१ मे ओ.बी.सी. को बाटकर आरक्षण दिया गया। इसका विमुक्त एवं भटकी जातिने थोडेबहुत रुप में फायदा लिया और आजभी ले रहें है। मंडल आयोग के शिफारिश के अनुसार २७ प्रतिशत आरक्षण देने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय नें इंद्रा शहाणी विरुध्द भारत सरकार इस केस में ऐसा कहा गया है कि, घटना के धारा १६(४) के शिफारिश के अनुसार पिछडी जनजाति या आधिक पिछडी जनजाति ऐसा वर्गीकरण किया गया है। उपरोक्त के केस के परिणाम (Result) ८०२ इस परिच्छेद में मा. न्यायधिश ने ऐसा मत व्यक्त किया है कि पिछडी जनजाति या आधिक पिछडी जाति ऐसा विभाजन करने में घटना या कानून की कोई दो राय नहीं है। मा.न्यायधिश ने दो ऐसे व्यवसायिक गुट के उदाहरण दिए है - सोनार और वडार इन्हें एकही वर्ग में डाल दिया जाए तो सोनार ही सभी चिजों का फायदा होगा। और वडार को कुछ भी नहीं मिलेगा इसलिए राज्य सरकारने अन्य पिछडी जनजातियों में भी बटवारा करे जिस से पिछडी जनजाति के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहुलियत या लाभ मिलेगा।

केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग नें २५/४/२००५ को दिल्ली के राष्ट्रीय परिषद में केंद्र सरकार के पिछडे जाति के लोग तथा अधिक पिछडी जाति के ऐसा बटवारा होगा इस तरह प्रस्ताव पारित किया है। हम हमेशा मौग करते रहे इस लिए तत्कालिन प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहनसिंग इनके साथ हुए बैठक के निर्णयानुसार अन्य पिछडे जाति को उसी वर्ग में बरकरार रखने हेतु 'राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग' को अध्ययनकर अहवाल एवं शिफारीश करने के लिए कहा गया। यह रिपोर्ट एवं शिफारीश धारा ३४० तहत राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग कानून १९९३ के अनुसार सरकार को स्वीकारना अनिवार्य है। २ मार्च २०१५ को राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग ने उपरोक्त शिफारशी के अनुसार एक अच्छा रपट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है। जिस में पिछडी जाति के आरक्षण का विभाजन कर निम्नलिखीत तिन गुटों में उपवर्गीकरण करना चाहिए ऐसा सुचीत किया गया है। यही काम मोदी सरकार ने किया तो धनगर जैसे सो जाति को तथा ६६६ भटके विमुक्त जाति को न्याय मिलेगा। महाराष्ट्र के केवल

धनगर जाति ही नहीं तो राजस्थान के गुजर एवं बंजारा जैसी जाति की भी समस्या सुलझ जायेगी। अभी यह देखना है कि जिनको पिछडी जाति का चेहरा बी.जे.पी. ने देने का प्रयत्न किया वे नरेंद्र मोदी दुर्लक्षीत एवं पिड़ीत जनता को न्याय देती है या अन्याय करती है इस तरह राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग ने निम्नलिखीत विभाजन किया है।

१. अत्याधिक पिछडी जनजाति (अ-वर्ग) : इस वर्ग में पिछडी जाति के लोग कौम से वर्ग, उपवर्ग, जाति , उपजाति तथा शैक्षणिक एवं आर्थिक दृष्टिसे अत्याधिक शिर्ष स्थानका पिछडापन झेल रहे है उन्हें खोज निकालना। जिनमें मूलनिवासी जाति, विमुक्त भटकी एवं अर्धभटकी जाति आदि के पारंपारिक व्यवसाय यह थे। जैसे - भीक मॉगना, सुअर पालना, साप को खिलवाना, (गारुडी), पक्षीयों को पकडना (पारधी), धार्मिक भिक्षु / साधू एवं ढोल पिटने वाले , बांबू का काम करने वाले शिकारी, खजूर के पत्तोंसे चटई तयार करने वाले मजूर आदी का समावेश इस वर्ग में हुआ है।

२. अधिक पिछडा हुआ वर्ग (ब- वर्ग) : इस वर्ग के लोगों का पारंपारीक व्यवसाय कपडे तयार करना, कपडों को रंग देना, खेल से संबंधीत छोटी-छोटी वस्तुऐ तयार करना, विनकाम करना (विणकर), शराब तयार करना, कपास पिंजना (पिंजारा), तेल तयार करना, (तेली), मटके बनवाना (कुंभार), मेंढी पालना (धनगर), मिट्टी का काम करना (गवंडी), खाटीक, शिंपी, मच्छिमार, कोळी, बागकाम करना, (माळी), तथा धोबी एवं नाभिक आदि का समावेश इस वर्ग में होता है।

३. पिछडापन (क-वर्ग) : उपरोक्त अत्याधिक पिछडेपन एवं अधिक पिछडेपन के लोगों को खोजना, ढूंढना यह इसकी अगली सीढी या सोपान है। इसमें भूधारक एवं खेती करनेवाले किसान, व्यवसाय तथा उद्योग करनेवाले अलगअलग जाति एवं जमाति के लोगों का समावेश इस वर्ग में होता है।

इसके पूर्व विमुक्त एवं भटकी जाति का विकास करने के लिए सन २००६ में बाळकृष्ण रेणके आयोग की स्थापना की गयी थी। इस आयोग नें अपना रिपोर्ट भारत सरकार की ओर सन २००८ में सौंपा। इसमें विमुक्त एवं भटके जाति के लिए १० प्रतिशत आरक्षण देने की शिफारिश भारत सरकार को की गयी। किंतु सरकार की ओर इस समाज के कुल आबादी की

जानकारी न होने के कारण इस शिफारिशों का अंमल नहीं हो सका। फिर भी सरकार ने सन २०११ में सभी की जातिनिहाय गणना और उनका सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण किया। जिनकी संख्या सरकार के पास उपलब्ध है। सन २०१५ में भारत सरकार ने दादा ईदाते इनके अध्यक्षता में एक और आयोग भटके विमुक्त के लिए बनवाया गया, जो आज भी काम कर रहा है। इस आयोग ने अपना अंतिम रिपोर्ट पेश करना और देश में २७ प्रतिशत ओ.बी.सी. के आरक्षण का विभाजन करना। जो सुविधा एवं सहुलियत अनुसुचित जाति तथा जमाति को दि जाती हे वहीं अन्य पिछडे जाति के लोगोंको देना चाहिए यह हमारी मॉग है, गुजारीश है।

उपरोक्त यही बात हम पिछले २० वर्षोंसे कह रहे है। स्वर्गीय हमारे नेता गोपिनाथजी मुंडे, प्रमोदजी महाजन तथा अडवानीजी एवं अटलजीको यह बात मान्य थी। जबसे मंडल आयोग सन १९९३ अंमल में आया तबसे जितने IAS, IPS, IFS उमेदवार की रिक्रुटमेंट UPSC ने की उनमें २७ प्रतिशत आरक्षण का लाभ कुछ विशिष्ट राज्य तथा कुछ विशिष्ट जाति के लोग उठा रहें है।

'राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग' ने ओबीसी के विभाजन की जो शिफारीश कि है , जिसकी चर्चा भी है वह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। उससे सामाजिक न्याय इस तत्त्व का पालन होगा। यदि ऐसा हुआ तो डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर एवं शाहू महाराज जिन्होंने जो योजना बनाई और जो विचार किया था वही योजना , वहीं विचार राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग ने किया है। ऐसा हमारा मत हे। इसलिए इस विषयपर ओबीसी में के प्रगत जाति के नेताओं ने कोई राजकारण, राजनिती नहीं करना है। ओबीसी में जो दबे हुए लोग है, उनको कर्पूरी ठाकूर सूत्र एवं वसंतराव नाईक सुत्र केवल बिहार और महाराष्ट्र के लिए लगाना उचित नहीं है। अपितु यह सूत्र तो संपूर्ण देश में लगाना चाहिए। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरने आरक्षण के बारे में एक बात कही थी, उनके कहने के अनुसार एक टोकरे में एक शक्तिहीन, दुर्बल तथा एक सशक्त घोडे को चने खाने को दिया जाय तो सभी चना सशक्त घोडा ही खा जाएगा और दुर्बल घोडे को कुछ भी नहीं मिलेगा। यही बात आज ओबीसी के २७ प्रतिशत आरक्षण के संदर्भ में हो रहा है।

मै खासदार रहते समय सन २००४ में संपूर्ण देश में घुमकर इन दबे हुए लोगोंको संघटित कर बटवारे की बात कही थी। सन २००८ में एक प्रायव्हेट विधेयक संसद में प्रस्तावित

किया था उसका आशय ऐसा था कि केंद्र सरकार एवं राज्यसरकार दोनों धरातलपर ओबीसी का विभाजन करना होगा। यदि ऐसा हुआ तो यह इस दशक का सामाजिक न्याय का सबसे बडा अहं मुद्दा होगा। क्यों कि देश की आधी आबादीसे संबंधित यह मुद्दा है। इसलिए भटके विमुक्त, धनगर, गुजर, कोळी, महादेव कोळी जैसी अत्याधिक पिछडे समाज की समस्या सुलझाने का यह एक कारिगर उपाय है।

हरिभाऊ राठोड
माजी खासदार व महाराष्ट्र राज्य
विधान परिषद के सदस्य
मोबाईल नं. ९९२०७१६९९९